

फर्द अहकाम

पालय उपखण्ड अधिकारी चक्र

बनाम सरदार
छापुरा

क्रमा संख्या / वर्ष : 54/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>के उवधानों की अनुपालना में राज्य सरकार को अफ्रीक नोटिस दिया जाना आवश्यक था। वादी की ओर से पत्र ले करि डा. पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) CPC पेश नही किया है। अतः गुणावगुण पर विचार किए बिना यह वाद धारा 80 CPC के उवधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। डिफेंडी पचि जारी है। पत्रावली नैसल शुमार दोकर 48 नंबर ले 07 है।</p> <p>बि। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	